रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092024-256983
CG-DL-E-07092024-256983

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3501] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2024/भाद्र 15, 1946
No. 3501] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2024/BHADRA 15, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 3831 (अ).—केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्या का.आ. 70(अ), तारीख 10 जनवरी, 2017 द्वारा भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए, एक अधिसूचना जारी की थी;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय हे कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकती है;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 70(अ), तारीख 10 जनवरी, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्या का.आ. 70(अ), तारीख 10 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**5. मानीटरी समिति--**(1) केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी करने के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :--

	प्रभागीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल राजस्व	अध्यक्ष, पदेन;
(i)	बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पर्यावरण या वन्य जीव के क्षेत्र (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
	कृषि विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(ii)	प्रत्येक तीन वर्ष के लिए बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पारिस्थितिकी या पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(iii)	वन और पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iv)	प्रादेशिक अधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(v)	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(vi)	एक सदस्य राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(vii)	प्रभागीय वन अधिकारी, प्रादेशिक	सदस्य सचिव, पदेन;

(2) मानीटरी समिति, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, आने वाले और उस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण को निर्दिष्ट क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के सिवाय, उपपैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

IndiaCode

(5) मानीटरी समिति, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियालापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, इस अधिसूचना के साथ संलग्न **उपाबंध-V** में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, उस वर्ष की 30 जून तक मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।

(7) केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे ।

[फा.सं. 25/198/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण 1: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. 70(अ), तारीख 10 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 3831(E).— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Bhimbandh Wildlife Sanctuary, Bihar in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.70(E), dated the 10th January, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 70(E), dated the 10th January, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 70(E), dated the 10th January, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraph 5 the following paragraphs shall be substituted, namely:-

"5. Monitoring Committee. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(i)	Divisional Commissioner, Munger Division Revenue	Chairman, ex officio;

(ii)	One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife (including heritage conservation) nominated by the Government of Bihar after every three years.	Member;
(iii)	One representative of Agriculture Department, Government of Bihar	Member, ex officio;
(iv)	One expert in the area of ecology or environment to be nominated by the Government of Bihar for every three years.	Member;
(v)	One representative of Department of Forests and Environment, Government of Bihar	Member, ex officio;
(vi)	Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board	Member, ex officio;
(vii)	One Representative of Department of Water Resources, Government of Bihar	Member, ex officio;
(viii)	One Member State Biodiversity Board	Member, ex officio;
(ix)	Divisional Forest Officer, Territorial	Member Secretary, ex officio.

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the that notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub- paragraph (2), and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in pro forma specified in **Annexure-V**, appended to this notification.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.''

[F. No. 25/198/2015-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, SCIENTIST "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 70 (E), dated the 10th January, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.